

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.05.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 05 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना को0देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मनोज पुत्र स्व0 अलखराम व 2.राम प्रसाद पुत्र स्व0 मिठूलाल निवासीगण ग्राम नैनागढ़, महादेवा थाना को0 देहात गोण्डा के कब्जे से 10-10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 220/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मुकेश वर्मा पुत्र रामचरित्तर वर्मा निवासी ग्राम रामसहायडीह कूकनगर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 84/23, 02. पिन्टू कुमार पुत्र हरिराम निवासी ग्राम बनरहा भूजनडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 85/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.05.2023

गैर इरादतन हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 13.04.2023 को आवेदिका श्रीमती आन्ता देवी पत्नी कंधाई लाल चौहान निवासिनी दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ने थाना इटियाथोक पर लिखित तहरीर दी कि प्रार्थी के ससुर परशराम पुत्र जयजयराम उम्र करीब 65 वर्ष द्वारा प्रार्थिनी के खेत में लगा कटहल के पेड़ से विपक्षीगण को कटहल तोड़ने से मना करने पर, प्रार्थिनी के ससुर को गाली गुप्ता देते हुए लाठी, डण्डा से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिए हैं तथा जान से मार डालने की धमकी देते हुए गाड़ी का शीशा तोड़ दिए हैं, प्रार्थिनी के ससुर को ईलाज हेतु एम्बुलेन्स द्वारा जिला चिकित्सालय गोण्डा भेजा गया जहां ईलाज के दौरान परशराम की मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सूचना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु प्र०नि० इटियाथोक को निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर घटना कारित करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों-01. अनिल कुमार, 02. अरुण उर्फ दद्वन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अनिल कुमार पुत्र शेषराम नि० दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. दद्वन पुत्र शेषनरायन दूबे नि० दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०स०- 233/23, धारा 147,149,304,323,504, 506,427 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

नि० अपराध रामप्रकाश यादव मय टीम थाना इटियाथोक